न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आघ्यारित)

प्रकरण संख्याः 59/2021/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 21.01.2021
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामभरोसी पुत्री औंकार जाति कुम्हार निवारी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज, जिला बारां

.....अपीलार्थी

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र लटूर जाति धाकड़ निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगंज जिला बारां।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 155/98 बउनवान भैरूलाल बनाम रामभरोसी में पारित निर्णय दिनांक 06.10.1998 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व में रेस्पो0 क्र.1 भैरूलाल के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद के यहां प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भू–आवंटन, 1970 पेश कर कथन किया गया कि अपीलार्थी/रामभरोसी के पक्ष में दिनांक 27.05.1989 को खसरा सं0 1623 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा में किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद के द्वारा प्रकरण सं0 89/89 में निर्णय दिनांक 14.03.1991 पारित कर उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहाबाद के निर्णय दिनांक 14.03.1991 के विरूद्ध रेस्पो0 क्र.1 भैरूलाल के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील पेश करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा अपील प्रकरण सं0 90/92 बउनवान भैरूलाल बनाम रामभरोसी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.1993 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां को

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में इस बाबत जांच की जावे कि क्या अपीलार्थी (भैरूलाल) के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 04.08.1958 निरस्त किया जा चुका है? यदि नहीं तो रेस्पो0 (रामभरोसी) के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है और यदि अपीलार्थी (भैरूलाल) के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया गया है तो उसका क्या कारण रहा है? उक्त बिन्दुओं बाबत् जांच की जाकर दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

2 प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा अपील प्रकरण सं0 90/92 बउनवान भैरूलाल बनाम रामभरोसी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.1993 की पालना में दोनों आवंटनों के संबंध में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 06.10.1998 में विवेचन किया गया कि "चूंकि प्रथम आवंटन प्रार्थी भैरूलाल का दिनांक 04.08.1958 का है, जिस पर उसे गैरखातेदारी दी जाकर पासबुक जारी हो चुकी है तथा कब्जा भी उसी का चला आ रहा है। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 28.04.1993 के क्रम में जांच से भी आवंटन प्रार्थी भैरूलाल निरस्त नहीं हुआ है।"

इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी भैरूलाल को दिनांक 04.08.1958 को हुआ आवंटन बहाल रखा जाकर इसके बाद में इसी आराजी का रामभरोसी के हक में दिनांक 27.05.1989 को किया गया आवंटन खसरा सं0 1623 की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 06.10.1998 पारित किया गया।

3 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.1998 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी को जो आराजी आवंटित की गयी थी वह विधिवत भू–आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर पूर्ण कोरम में आवंटित की गयी थी, जिसे निरस्त करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था फिर भी उक्त आवंटन निरस्त कर कानूनी भूल की है। आवंटन निरस्त किये जाने से अपीलार्थी के सांपत्तिक अधिकारों एवं कानूनी अधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन हुआ है, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त आराजी अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है। उक्त निर्णय की आड़ में रेस्पो0 अपीलार्थी की आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है तथा अपीलार्थी को बेदखल कर दिया है, जिससे अपीलार्थी की आजीविका स्पष्ट रूप से प्रभावित हो रही है। अपीलार्थी बिना पढ़ी लिखी महिला है तथा कानून की जानकारी नहीं रखती इसलिए समय पर अपील पेश नहीं कर सकीं। प्रकरण की जानकारी की जाकर दिनांक 23.09.2019 को नकल प्राप्त की जाकर अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां का प्रकरण सं0 155/98 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.1998 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी का आवंटन बहाल रखा जावे।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे रेस्पो0 क्र.1 के अनुपस्थित रहने पर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एकपक्षीय सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को जो आराजी आवंटित की गयी थी वह विधिवत भू–आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर पूर्ण कोरम में आवंटित की गयी थी। आवंटन निरस्त किये जाने से अपीलार्थी के सांपत्तिक अधिकारों एवं कानूनी अधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन हुआ है। उक्त आराजी अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है। अपीलार्थी विना पढ़ी लिखी महिला है तथा कानून की जानकारी नहीं रखती इसलिए समय पर अपील पेश नहीं कर सकीं। प्रकरण की जानकारी की जाकर दिनांक 23.09.2019 को नकल प्राप्त की जाकर अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां का प्रकरण सं0 155/98 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.1998 निरस्त करने तथा अपीलार्थी का आवंटन बहाल रखे जाने का अनुरोध किया गया।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। प्रस्तुत प्रकरण में मियाद के बिन्दु पर न्यायिक दृष्टांत RRT 2004(1) Page No. 374 द्वारा प्रतिपादित किया गया कि *Limitation Act, 1963- Sec. 5- Dismissal of appeal on the ground of Limitation without looking in merits-Held, before rejecting application u/Sec. 5- and dismissing appeal as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.*

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रकट होता है।

7 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कोटा के द्वारा अपील प्रकरण सं0 90/92 बउनवान भैरूलाल बनाम रामभरोसी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.1993 प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में इस बाबत जांच की जावे कि क्या भैरूलाल के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 04.08.1958 निरस्त किया जा चुका है? यदि नहीं तो रामभरोसी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है और यदि भैरूलाल के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया गया है, तो उसका क्या कारण रहा है? उक्त बिन्दुओं बाबत् जांच की दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा अपील प्रकरण सं0 90/92 बउनवान भैरूलाल बनाम रामभरोसी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.1993 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.1998 अनुसार विवेचन किया गया कि "चूंकि प्रथम आवंटन प्रार्थी भैरूलाल का दिनांक 04.08.1958 का है, जिस पर उसे गैरखातेदारी दी जाकर पासबुक जारी हो चुकी है तथा कब्जा भी उसी का चला आ रहा है। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 28.04.1993 के क्रम में जांच से भी आवंटन प्रार्थी भैरूलाल निरस्त नहीं हुआ है।" इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भैरूलाल को दिनांक 04.08.1958 को हुआ आवंटन बहाल रखा जाकर इसके बाद में इसी आराजी का रामभरोसी के हक में दिनांक 27.05.1989 को किया गया आवंटन खसरा सं0 1623 की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 06.10.1998 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में तर्क रहा है कि अपीलार्थी को जो आराजी आवंटित की गयी थी वह विधिवत भू–आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर पूर्ण कोरम में आवंटित की गयी थी। आवंटन निरस्त किये जाने से अपीलार्थी के सांपत्तिक अधिकारों एवं कानूनी अधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन हुआ है।

8 उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा अपील प्रकरण सं0 90/92 बउनवान भैरूलाल बनाम रामभरोसी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.1993 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में इस बाबत जांच की जावे कि क्या भैरूलाल के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 04.08.1958 निरस्त किया जा चुका है? यदि नहीं तो रामभरोसी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है और यदि भैरूलाल के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया गया है, तो उसका क्या कारण रहा है? उक्त बिन्दुओं बाबत् जांच की जाकर दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। इस संबंध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा अपील प्रकरण सं0 90/92 बउनवान भैरूलाल बनाम रामभरोसी वगै0 में पारित निर्णय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिनांक 28.04.1993 में यह विवेचन किया गया है कि मुताबिक नामांतरकरण संख्या 290 दिनांक 27.08.1973 से आराजी खसरा सं0 1623 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 04.08. 1958 को भैरूलाल को आवंटन की गई थी, जो भैरूलाल के गैरखातेदारी में दर्ज है तथा पास बुक जारी की हुई है। इसके पश्चात् प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 28. 04.1993 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित प्रकरण में निर्णय में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा दिनांक 06.10.1998 को निर्णय पारित किया जाकर यह स्पष्ट किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा सं0 1623 है, जिसका रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा है। यह भूमि भैरूलाल (रेस्पो0 क्र.1) एवं रामभरोसी के खाते में एक साथ रखा जाना संभव नहीं है। साथ ही भैरूलाल को दिनांक 04.08.1958 को जो आवंटन हुआ है, उसे निरस्त नहीं होना माना गया है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भैरूलाल का आवंटन दिनांक 04.08.1958 का होने पर गैर खातेदारी दी जाकर पासबुक जारी होने से उक्त आवंटन दिनांक 04.08.1958 के आजदिनांक तक निरस्त नहीं होने से भैरूलाल (रेस्पो0 क्र.1) का उक्त आवंटन बहाल रखा जाकर उक्त गैरखातेदारी की आराजी पर पुनः दिनांक 27.05.1989 को खसरा सं0 1623 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का अपीलार्थी/रामभरोसी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 06.10. 1998 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में भैरूलाल/रेस्पो0 क्र.1 का आवंटन दिनांक 04.08. 1958 का होने पर उसके गैरखातेदारी में होने से तथा उक्त आवंटन दिनांक 04.08.1958 के आजदिनांक तक अस्तित्व में होने से उसके उपरांत किया गया आवंटन 27.05.1989 को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.1998 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा